न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 223/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/356)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र नाजर सिंह जाति जटसिख निवासी 2 वीं तहसील श्रीकरणपुर।		1. गुरभाग सिंह पुत्र प्रगट सिंह जाति जटसिख निवासी पदरी कला, सुर सिंह तरनतारन, पंजाब जरिए मुखत्यारेआम खास जोगेन्द्र सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 2 वीं तहसील श्रीकरणपुर। 2. दिलबाग सिंह पुत्र प्रगट सिंह जाति जटसिख निवासी पदरी कला, सुर सिंह तरनतारन, पंजाब जरिए मुखत्यारेआम खास जोगेन्द्र सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 2 वीं तहसील श्रीकरणपुर। 3. गुरमीत सिंह पुत्र कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासी जामा राय, सुर सिंह तरनतारन, पंजाब जरिए मुखत्यारेआम खास जोगेन्द्र सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 2 वीं तहसील श्रीकरणपुर। 4. जरनैल सिंह पुत्र चनण सिंह जाति जटसिख निवासी जामा राय, सुर सिंह तरनतारन, पंजाब जरिए मुखत्यारेआम खास जोगेन्द्र सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 2 वीं तहसील श्रीकरणपुर। 5. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91,188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 18.11.2024

उपस्थितः 1. श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी

---निर्णय---

दिनांकः 07.03.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि.धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 171/72 के मुरब्बा नम्बर 9, 68, 69 की कुल 6.956 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। उक्त वर्णित भूमि हमारी पारिवारिक सम्पति है तथा उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण को जरिए विरास्तन प्राप्तशुदा भूमि है। प्रतिवादी संख्या 1, 2 मृतक गुरविन्द्र कौर पुत्री नाजर सिंह के विधिक वारिस है। गुरविन्द्र के नाम से दर्ज भूमि मृत्यू के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को विरास्तन न्यायगत हुई। इसी प्रकार से भजन कौर पुत्री नाजर सिंह की मृत्यू दिनांक 26.01.2012 को हो चुकी है। जिसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 3, 4 को उक्त भूमि न्यायगत हुई। इस कारण राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का नाम अंकित है। मृतका भजन कौर व गुरविन्द्र कौर वादी की सगी बहिने थी। जिनका प्रेम स्नेह वादी व उसके परिवार के साथ काफी अच्छा था तथा वह अपनी शादी के पश्चात अपने ससुराल पंजाब में आबाद हो चुकी थी। काफी समय पूर्व वादी का अन्य भाईयो-बहिनों के साथ पारिवारिक सम्पति को लेकर वाद-विवाद हो गया था, जिस पर पंचायती व्यक्तियों के द्वारा वादी, भाई-बहिनों में मौखिक राजीनामा करवा दिया, जिसमें वादी की मृतक दोनों बहिनों क्रमशः भजन कौर द गुरविन्द्र कौर के द्वारा अपने हक व हिस्सा की भूमि वादी व उसके परिवार को सुपुर्द करने हेतु सहमत हुई थी और उनके द्वारा वादी को ही उक्त भूमि सुपुर्द कर दी थी। तब से उक्त भूमि पर वादी व उसका परिवार की कब्जा काश्त है। इस प्रकार से वादी मृतका गुरविन्द्र कौर व भजन कौर के हिस्सा की भूमि पर मौखिक बंटवारा की रूह से शांतिपूर्वक, निरतंर, निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन इसी बीच वादी की बहिनों का स्वर्गवास हो चुका है। वादी का मौखिक पारिवारिक बंटवारा के अनुसार कब्जा काश्त अवश्य था, लेकिन उक्त भूमि पूर्व में मृतका बहिनों के नाम से दर्ज थी। वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा कि वह उक्त भूमि का पारिवारिक मौखिक बंटवारा के अनुसार वादी के नाम से नामातंरण राजस्व अभिलेख में करवा देवे। तो प्रतिवादीगण ने असमर्थता का हवाला देकर, आनाकानी करते रहे है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि.धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 171/72 के मुरब्बा नम्बर 9, 68, 69 की कुल 6.956 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

के नाम दर्ज भूमि का वादी को खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे। एवं उनके नाम उक्त रकबा राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर को डिक्री पारित की जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से जरिए मुखत्यारेआम जोगेन्द्र सिंह पुत्र बलदेव सिंह उपस्थित आया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से जवाबदावा पेश किया। नकल वादी अधिवक्ता को दिलाई गई। जिसके अनुसार वादी का उक्त वादपत्र स्वीकार किया जाता है, तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। सामिल मिसल किया गया। वादी सुरेन्द्र सिंह व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिए मुखत्यारेआम जोगेन्द्र सिंह के द्वारा न्यायालय में स्वंय उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया। दोनों पक्षों के द्वारा राजीनामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। हस्तगत प्रकरण में दोनो पक्षों के द्वारा राजीनामा पेश किया गया है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादी का वादपत्र दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादी का वादपत्र उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। वादी के वादपत्र मय शपथपत्र, प्रतिवादी संख्या 1 के जवाबदावा एवं समझौतानामा मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादी का वाद पत्र दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा मुताबिक डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेशः-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण, प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर वादी सुरेन्द्र सिंह पुत्र नाजर सिंह को राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि.धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 171/72 के मुरब्बा नम्बर 9, 68, 69 की कुल 6.956 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 गुरभाग सिंह के नाम दर्ज 0.278 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 2 दिलबाग सिंह के नाम दर्ज 0.278 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 3 गुरमीत सिंह के नाम दर्ज 0.116 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 4 जरनैल सिंह के नाम दर्ज 0.348 हैक्टेयर भूमि, कुल 1.020 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 07.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

सुरेन्द्र सिंह बनाम गुरभाग सिंह आदि
धारा अन्तर्गत 88, 91, 188, 209 आरटीए
मुकदमा नम्बर 223/2024
निर्णय दिनांक :- 07.03.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर वादी सुरेन्द्र सिंह पुत्र नाजर सिंह को राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि.धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 171/72 के मुरब्बा नम्बर 9, 68, 69 की कुल 6.956 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 गुरभाग सिंह के नाम दर्ज 0.278 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 2 दिलबाग सिंह के नाम दर्ज 0.278 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 3 गुरमीत सिंह के नाम दर्ज 0.116 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 4 जरनैल सिंह के नाम दर्ज 0.348 हैक्टेयर भूमि, कुल 1.020 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 07.03.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	300	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	304	00	योग	02	00

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
दिनांक: 07.03.2025

क्रमांक: रीडर/2025/153

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)